पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 11/2018

अनवान :

1. सोहनलाल पुत्र दुलीचन्द जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
2. भूपसिंह पुत्र दुलीचन्द जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
3. विनोद पुत्र दुलीचन्द जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
4. शर्मिला पुत्र दुलीचन्द जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. दुलीचन्द पि0मु0 गणपत जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री सुनील बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 विनोद कारेला की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा ग्राम घेऊ के वर्तमान खाता सं0 123/116 के खसरा सं0 445 की 9.700 है0 खसरा सं0 775/636 की 5.059 है0 कुल 14.759 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी दुलीचन्द पि0मु0 गणपत के नाम से खातेदारी दर्ज है में से खसरा सं0 775/636 की 5.059 है0 कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 दुलीचन्द अकेले के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 पांचों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के नाम बहिस्सा बराबर के राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27-6-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 11/2018

अनवान :

1. सोहनलाल पुत्र दुलीचन्द जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
2. भूपसिंह पुत्र दुलीचन्द जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
3. विनोद पुत्र दुलीचन्द जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
4. शर्मिला पुत्र दुलीचन्द जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. दुलीचन्द पि0मु0 गणपत जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुनील बैनीवाल : **वादीगण**

वकील श्री विनोद कारेला : **प्रतिवादी सं0 1**

निर्णय **दिनांक :** 27-6-18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मोजा ग्राम घेऊ के वर्तमान खाता सं0 123/116 के खसरा सं0 445 की 9.700 है0 खसरा सं0 775/636 की 5.059 है0 कुल 14.759 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी दुलीचन्द पि0मु0 गणपत के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादभूमि में से खसरा सं0 775/636 की 5.059 है0 भूमि पहले वादीगण के दादा गणपत वल्द बिज्ञा की हुआ करती थी जो गणपत के देहान्त होने पर उक्त भूमि वादीगण एव प्रतिवादी दुलचीन्द को वहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन मे प्राप्त हुई थी। वादभूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होने एवं सयुक्त परिवार की खातेदारी होने एवं संयुक्त परिवार की आय आमदनी से खसरा सं0 445 की भूमि खरीद होने के चलते उक्त भूमि में वादीगण का हक एव अधिकार निहित है परन्तु वादीगण तन्हा प्रतिवादी के नाम से दर्ज चली आ रही है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया है। प्रतिवादी सं0 2 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादीगण में सोहनलाल पुत्र दुलीचन्द के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू-प्रबन्ध विभाग की ग्राम घेऊ सम्वत् 2029-38 की की प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम घेऊ खाता सं0 123/116 सम्वत् 2071 से 74 की प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादभूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है एवं

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा (हनु.)

Scanned with CamScanner

संयुक्त परिवार की आय आमदनी से खदीदशुदा होने के कारण वादीगण का हक व अधिकार निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम घेऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज खसरा सं0 775/636 की कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू-प्रबन्ध विभाग की ग्राम घेऊ सम्वत् 2029-38 की की प्रदर्श 1 प्रदर्शित करवाई है उसमें कृषि भूमि वादीगण के दादा गणपत वल्द बीझा के नाम दर्ज है जिससे वाद कृषि भूमि पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में दुलीचन्द के वारिसान में पत्नी बादो देवी, तीन पुत्र सोहनलाल, भूपसिंह, विनोद व एक पुत्री शर्मिला होना व इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादीगण साबित है।

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा ग्राम घेऊ के वर्तमान खाता सं0 123/116 के खसरा स0 445 की 9.700 है0 खसरा सं0 775/636 की 5.059 है0 कुल 14.759 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी दुलीचन्द पि0मु0 गणपत के नाम से खातेदारी दर्ज है में से खसरा सं0 775/636 की 5.059 है0 कृषि भूमि मे प्रतिवादी स0 1 दुलीचन्द अकेले के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 पाचों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के नाम बहिस्सा बराबर के राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27-6-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner